न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

..... बनाम .....

संख्या ...../ अन्तर्गत धारा .....

क्र	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
1 03/23	अधिवक्तागण उपस्थित। मजीद बहस सुनी गई। निर्णय अलग से लिखवाया जाकर सुनाया गया वादीगण का वादपत्र अली-भांति साबित नहीं होने पर अस्वीकार/ खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) करणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:46:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 132/2013

वादी	प्रतिवादीगण
बनाम	
1. तेज कौर पत्नी सरूप सिंह जाति महजबी सिख निवासी 63 जीबी तहसील अनुपगढ। 2. राजेन्द्र सिंह पुत्र सरूप सिंह जाति महजबी सिख निवासी 63 जीबी तहसील अनुपगढ। 3. काला सिंह पुत्र सरूप सिंह जाति महजबी सिख निवासी 63 जीबी तहसील अनुपगढ। 4. पालो पत्नी सरदूल सिंह पुत्री सरूप सिंह जाति महजबी सिख निवासी 29 एसटीजी तहसील पीलीबंगा। 5. कायलो उर्फ कैलो पत्नी सरजीत सिंह पुत्री सरूप सिंह जाति महजबी सिख निवासी 29 एस.टी.जी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ। 6. मोली पत्नी गुरा सिंह पुत्री सरूप सिंह जाति महजबी सिख निवासी 2 पी.जी.एम. तहसील अनुपगढ। 7. मनजीत कौर पत्नी लखविन्द्र सिंह पुत्री सरूप सिंह जाति महजबी सिख निवासी मीरा चौक श्रीगंगानगर। 8. कृष्णा पत्नी मोदन सिंह पुत्री सरूप सिंह जाति महजबी सिख निवासी 14 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर।	1. जगदीश राम पुत्र मुंशी राम जाति कम्बोज निवासी 61 एफ तहसील श्रीकरणपुर(मृतक) 1/1 रानी बाई पत्नी जगदीश राम। 1/2 सूरज प्रकाश पुत्र जगदीश राम। 1/3 नीलम रानी पुत्री जगदीश राम। 1/4 आकाशदीप पुत्र जगदीश राम। 2. गोपाल चन्द पुत्र मुंशीराम जाति कम्बोज निवासी 61 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 3. रमेश चन्द पुत्र मुंशीराम जाति कम्बोज निवासी 61 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 4. रामचन्द पुत्र सोहना राम जाति कम्बोज निवासी 61 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 5. आतुराम पुत्र सोहनाराम जाति कम्बोज निवासी 61 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्री करणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 03.10.2013

उपस्थितः 1.श्री जसविन्द्र सिंह चीमा अधिवक्ता वादीगण
2. श्री सतीश कुमार अरोडा अधिवक्ता प्रतिवादीगण

--निर्णय-- **दिनांक : 29.03.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादीगण संख्या 1 के पति व 2 ता 8 के पिता सरूप सिंह पुत्र कुन्डा सिंह जाति महजबी के नाम चक 62 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2027 ता 2036 के खाता संख्या 6 के मु.न. 3 में 12 बीघा 16 बिस्वा भूमि दर्ज थी। सरूप सिंह वादाधीन भूमि को मुंशी राम पुत्र पठाना राम जाति कम्बोज निवासी 61 एफ से हिस्सा पर काश्त करवाता था। इसलिए सरूप सिंह के मुंशी राम के साथ अच्छे सम्बन्ध थे। मुंशीराम पुत्र पठाना राम के मन में लालच आ गया और उसने वादाधीन भूमि को हडपने के लिए दिनांक 27.02.1961 को फर्जी व कूटरचित बैयनामा तैयार किया और सरूप सिंह के फर्जी अंगूठे लगवाकर बैयनामा पंजीकृत करवा लिया है। जबकि सरूप सिंह ने भूमि का बेचान नहीं किया था और ना ही मुंशी राम राजस्थान काश्त[illegible] के तहत सरूप सिंह से भूमि खरीद कर सकता था। क्योंकि स[illegible] अनुसूचित जाति [illegible] था और मुंशी राम स्वर्ण जाति की श्रेणी में आता था। तथाकथित फर्जी व कूटरचित [illegible]मा विधि विरूद्व होने के कारण आरम्भतः शून्य व अवैध है। जो वादी[illegible] प्रभावी है। तथाकथित विधि विरूद्व फर्जी व कूटरचित बैयनामा दिनांकित 27.02.1961 के आधार पर वादाधीन भूमि का इन्तकाल संख्या 21 मुंशीराम, मंहगाराम पिसरान पठाना राम व बागो बेवा सोहन राम पुत्री पठाना राम के नाम दर्ज कर जांच हेतु भू.अ.नि. जोरावरपुरा के समक्ष दिनांक 06.08.1977 को पेश किया, जिस पर भू.अ.नि. जोरावरपुरा ने यह नोट लगाकर कि रकबा अनुसूचित जाति का स्वर्ण का खरीदशूदा है और आदेश तहसील एंव एस.डी.एम स्पष्ट नहीं है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:46:13 IST
Reason: SelfAttested

दी है, जो कानूनन अधिकारी नहीं है। वादीगण को इस बैयनामा का भली-भांति ज्ञान था। इतने लम्बे वक्त तक कभी भी विवादित भूमि के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही ना करना भूमि के कब्जे की कार्यवाही ना करना, जमीनों की किमते बढ जाने से वादीगण के मन में बेईमानी आ गई है। इसलिए झूठे तथ्यों पर दावा लाए है जो काबिले खारिज है। विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण का अतिक्रमी काबिज होना कतई गलत है। सत्यता यह है कि प्रतिवादीगण के पूर्वजों द्वारा भूमि जरिए बैयनामा खरीद की गई है। उक्त खरीदशुदा भूमि बतौर खातेदार मालिक है। इसलिए प्रतिवादीगण को अतिक्रमी घोषित किया जाना विधि विरूद्व होगा। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर बन्द किया गया। हमने प्रकरण मे निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये:-

1. आया कि क्या वादीगण चक 62 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 22/35 के संबध में बैयनामा दिनांक 27.02.1961 उसके बाद हुए तमाम हस्तान्तरण को विधि विरूद्व होने के कारण अवैध एंव शून्य घोषित करवाकर तथा प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज खातेदारी को राजस्व रिकॉर्ड से निरस्त करवाकर अपने नाम बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित होने के अधिकारी है? -जिम्मे वादीगण-
2. आया कि क्या वादी इस विवादित भूमि के संबध में स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है? -जिम्मे वादीगण-
3. आया कि क्या वादीगण इस विवादित भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को बतौर अतिक्रमी घोषित करवाकर एंव उन्हें बेदखल किया जाकर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है? -जिम्मे वादीगण-
4. आया कि क्या वादपत्र इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार में नहीं है? -जिम्मे प्रतिवादीगण-
5. आया कि वादपत्र मियाद बाहर होने के कारण खारिज योग्य है? -जिम्मे प्रतिवादीगण-

6. अनुतोष।

वकील वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य प्रदर्श-1 चक 62 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2027 ता 2036 के खाता संख्या 6 की जमाबन्दी, प्रदर्श-2 बैयनामा दिनांक 27.02.1961 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श-3 इन्तकाल संख्या 21 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श-4 इन्तकाल संख्या 22 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श-5 बैयनामा दिनांक 04.06.1974 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श-6 जमाबन्दी सम्वत 2036 ता 2039 की प्रति, प्रदर्श-7 जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 2072 की प्रति प्रदर्शित करवाए व स्वंय वादिया कृष्णा का साक्ष्य शपथपत्र, पेश किया। जो सामिल पत्रावली है। जिरह वकील प्रतिवादीगण के द्वारा की गई। ब्यान सामिल मिसल किए गए।

वकील प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावा के समर्थन में साक्ष्य प्रदर्श-7 इन्तकाल संख्या 26 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श-8 इन्तकाल संख्या 27 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श-9 पानी की पर्चिया वर्ष 2013, 2014, 2015 की प्रतियां, प्रदर्श-10 पानी की पर्ची वर्ष 1985 की प्रति, प्रदर्श-11 पानी की पर्ची वर्ष 1989-90 की प्रति, प्रदर्श-12 पानी की पर्ची वर्ष 1997-98 की प्रति, प्रदर्श-13 पानी की पर्ची वर्ष 1988-89 की प्रति, प्रदर्श-14 पानी की पर्ची वर्ष 1998-99 की प्रति, प्रदर्श-15 पानी की पर्ची वर्ष 1985 की प्रति, प्रदर्श-16 पानी की पर्ची वर्ष 1987 की प्रति, प्रदर्श-17 पानी की पर्ची वर्ष 1992-93 की प्रति, प्रदर्श-18 पानी की पर्ची वर्ष 1990-91 की प्रति, प्रदर्श-19 मामला की पर्ची 2012 की प्रति, प्रदर्श-20 मामला की पर्ची 2011 की प्रति, प्रदर्श-21 पानी की पर्ची नम्बर 2055 की प्रति, प्रदर्श-22 पानी की पर्ची वर्ष 1968 की प्रति, प्रदर्श-23 मामला की पर्ची 44689 की प्रति, प्रदर्श-24 मामला की पर्ची वर्ष 1993 की प्रति, प्रदर्श-25 मामला की पर्ची संख्या 058618 की प्रति, प्रदर्श-26 पर्ची वर्ष 1989 की प्रति,

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:46:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मामला की पर्ची 1965 प्रति, प्रदर्शित करवाए व स्वंय प्रतिवादी आतु राम का साक्ष्य शपथपत्र, पेश किया। जो सामिल पत्रावली है। जिरह वकील वादीगण के द्वारा की गई। ब्यान सामिल मिसल किए गए।

हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा उस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली-भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। हम प्रकरण का तनकी वार पृथक-पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक एंव उचित समझते है जो निम्नानुसार है:-

तनकी संख्या 1: आया कि क्या वादीगण चक 62 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 22/35 के संबध में बैयनामा दिनांक 27.02.1961 उसके बाद हुए तमाम हस्तान्तरण को विधि विरूद्व होने के कारण अवैध एंव शून्य घोषित करवाकर तथा प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज खातेदारी को राजस्व रिकॉर्ड से निरस्त करवाकर अपने नाम बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित होने के अधिकारी है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण की थी। वादीगण के द्वारा वादाधीन भूमि के हुए बैयनामा दिनांक 27.02.1961 व उसके बाद हुए तमाम हस्तान्तरणों को विधि विरूद्व होने के कारण अवैध एवं शून्य घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदारी को निरस्त किया जावे तथा वादीगण को वादाधीन भूमि में बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा है। प्रदर्श-2 बैयनामा दिनांक 27.02.1961 के अनुसार सरूप सिंह वल्द कुण्डा सिंह कौम मजबी सिख साकिन 62 एफ तहसील श्रीकरणपुर के द्वारा चक 62 एफ के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 1 ता 13 की 3.162 हेक्टैयर नहरी भूमि व 52/1 के 0.076 हेक्टैयर गैर मुमकिन खाल कुल 3.238 हेक्टैयर भूमि मुंशी राम वल्द पठानाराम, मंहगा राम वल्द पठानाराम, मुस्मात बागो बाई बेवा सोहना राम दुखतर पठानाराम कौम कम्बो साकिन चक 62 एफ को जरिए पंजीकृत बैयनामा दिनांक 27.02.1961 को बहिस्सा बराबर भूमि बेचान कर दी है। लिहाजा वादीगण के द्वारा चाहा गया अनुतोष बैयनामा दिनांक 27.02.1961 को शून्य घोषित करने का है। पंजीकृत बैयनामा को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय का है। राजस्व न्यायालय का नहीं है। अतः यह तनकी विरूद्व वादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 2 : आया कि क्या वादी इस विवादित भूमि के संबध में स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण की थी। पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1 वादीगण के विरूद्व निर्णीत की जा चुकी है। वादीगण विवादित भूमि के संबध में स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः यह तनकी भी वादीगण विरूद्व निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 3 : आया कि क्या वादीगण इस विवादित भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को बतौर अतिक्रमी घोषित करवाकर एवं उन्हें बेदखल किया जाकर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण की थी। प्रतिवादीगण प्रश्नगत भूमि जरिए पंजीकृत बैयनामा के नामान्तरण दर्ज होने के उपरान्त राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार है। इन्हें बतौर अतिक्रमी नहीं कहा जा सकता है। अतः यह तनकी भी वादीगण विरूद्व निर्णीत की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:46:13 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या 4 : आया कि क्या वादपत्र इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार में नहीं है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण की थी। वादीगण के द्वारा चाहा गया अनुतोष उक्त विवादित भूमि के बैयनामा दिनांक 27.02.1961 का निरस्तीकरण के उपरान्त दिया जा सकता है। बैयनामा को खारिजी करने के वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार दीवानी न्यायालय का है। राजस्व न्यायालय का नहीं है। लिहाजा वादीगण का वादपत्र हाजा न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में नहीं है। अतः यह तनकी बहक प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 5 : आया कि वादपत्र मियाद बाहर होने के कारण खारिज योग्य है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण की थी। प्रतिवादीगण के द्वारा निवेदन किया है कि वादीगण का वादपत्र मियाद बाहर होने के कारण खारिज योग्य है। लिहाजा मियाद की अवधि पूर्व में 3 वर्ष की थी। संशोधन आदेश 1971 के अनुसार मियाद अवधि 12 वर्ष की गई। पुनः संशोधन आदेश 1981 के अनुसार मियाद अवधि 30 वर्ष निर्धारित की गई। विवादित भूमि का बैयनामा 27.02.1961 का है। इसलिए 30 वर्ष की अवधि 27.02.1991 को पूर्ण हो जाती है। जबकि वादीगण के द्वारा वाद दिनांक 03.10.2013 को पेश किया है। अतः वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 183बी मियाद बाहर है। अतः यह तनकी बहक प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

6. **अनुतोष।**

पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1 ता 3 विरूद्व वादीगण व तनकी संख्या 4 व 5 बहक प्रतिवादीगण निर्णीत की जा चुकी है। अतः वादीगण अनुतोष प्रदान करना हम विधिसंगत नहीं समझते है। लिहाजा यह तनकी इस कदर निर्णीत की जाती है।

-:क्रियात्मक आदेशः-

अतः उपर्युक्त विवाद्यकों के पृथक-पृथक निर्णयों के आलोक में निष्कर्षतः वादीगण वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया किया जाता है। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पत्रावली इस माफिक फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफतर हो।

{**सुभाष चन्द्र** (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर, जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 29.03.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{**सुभाष चन्द्र** (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:46:13 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

तैज कौर आदि वनाम जगदीश राम आदि

धारा अन्तर्गत 88, 188, 183 आरटीए मुकदमा नम्बर **132/2013**

निर्णय दिनांक :- 29.03.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री जसविन्द्र सिंह चीमा व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री सतीश कुमार अरोडा उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है।

आज दिनांक 29.03.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	02	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	**00**	योग	**04**	**00**

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:46:13 IST
Reason: SelfAttested